Section 57 : Consumer Welfare Fund

The Government shall constitute a Fund, to be called the Consumer Welfare Fund and there shall be credited to the Fund,—

(a) the amount referred to in sub-section (5) of section 54;

(b) any income from investment of the amount credited to the Fund; and

(c) such other monies received by it,

in such manner as may be prescribed.

धारा 57 : उपभोक्ता कल्याण निधि

सरकार उपभोक्ता कल्याण निधि नामक एक निधि का गठन करेगी और उस निधि में निम्नलिखित को ऐसी रीति में जमा किया जएगा जो विहित की जाए–

(क) धारा 54 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट रकम;

(ख) निधि में जमा की गई रकम के विनिधान से हुई किसी आय; और

(ग) उसके द्वारा प्राप्त ऐसी अन्य धनराशियां।